कृषि अनुसंधान केन्द्र

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीछवाल–बीकानेर

उत्तमा कृतिरसु कृषिकर्मैव

क्रमांक / लेखा / कृ.अ.के. / बीका. / 2024 / 30 दिनांकः 23.06.2024

नीलामी सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल बीकानेर स्थित खजूर फार्म में खजूर के लगभग 650 वृक्षों के फलों की नीलामी दिनांक 29.06.2024 (शनिवार) को प्रातः 11:00 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र (खजूर परियोजना), बीछवाल पर की जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित पूर्ण विवरण वेबसाईट www.raubikaner.org व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

23.6.2024
(एस.आर. यादव)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K. Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

कृषि अनुसंधान केन्द्र
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीछवाल–बीकानेर

उत्तमा वृत्तिस्तु कृषिकर्मैव

क्रमांकः लेखा / कृ.अ.के. / बीका. / 2024 / 30 दिनांकः 23.06.2024

नीलामी सूचना एवं शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खजूर अनुसंधान केन्द्र बीछवाल, बीकानेर में लगभग 650 वृक्षों पर लगें खजूर के फलों की नीलामी दिनांक 29.06.2024 (शनिवार) को प्रातः 11:00 बजे रखी गई है, जिसकी निम्न शर्तें होगी :–

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को नीलामी बोली लगाने से पहले रूपये 5000/– (अखरे रूपये पाँच हजार मात्र) बतौर अमानती राशि के नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के नाम से जमा कराने होगे। जिस सज्जन के नाम बोली छूट जायेगी, उसकी अमानती राशि जमा रखी जायेगी।
2. जिस व्यक्ति के नाम अन्तिम बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 1/4 (एक चौथाई) भाग उसी समय कार्यालय में जमा करवाना होगा। शेष राशि नीलामी छूटने के एक सप्ताह की अवधि में जमा करानी होगी। रकम जमा न करवानें की स्थिति में अमानती राशि व जमा रकम जप्त कर ली जायेगी। सम्पूर्ण नीलामी राशि के जमा कराने के उपरांत ही फलों की तुड़ाई का कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।
3. यह नीलामी अहस्तान्तरणीय है अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी, वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति को फल तोड़ने का ठेका नहीं दे सकेगा।
4. खजूर के फलों को तोड़ने की अनुमति प्रभारी अधिकारी, खजूर अनुसंधान केन्द्र से लेनी होगी। प्रत्येक किस्म के चिह्नित (टेग लगे) पेड़ों की तुड़ाई से पूर्व अनुमति प्रभारी अधिकारी, खजूर अनुसंधान केन्द्र से लेनी होगी। जिससे अनुसंधान कार्य में कोई बाधा न पहुँचें।
5. फलों की रखवाली की जिम्मेदारी नीलामी छूटने के बाद से दिनांक 31.08.2024 तक या इससे पूर्व फलों की तुड़ाई तक जो भी पहले हो ठेकेदार की होगी। इसके बाद ठेकेदार का कोई हक खजूर के बगीचे में नहीं होगा। तुड़ाई, परिवहन व विक्रय सम्बन्धी समस्त कार्य ठेकेदार का ही होगा। विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. अनुसंधान कार्य के लिए 200 किलोग्राम फल चाही गई किस्म व अवस्था मे और मेडज्यूल के पूर्ण फलयुक्त 5 पौधे ठेकेदार को खजूर अनुसंधान केन्द्र को अनुसंधान कार्य हेतु देना होगा। जिसके लिए विभाग द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
7. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फलों की तुड़ाई के समय वृक्षों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे जैसे फल के गुच्छो को काटते समय पौधे की पत्तिया नहीं काटे साथ ही खजूर के वृक्षों पर किये जाने वाले प्रयोगों को न तो किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जायेगी और न ही किसी प्रकार की रूकावट पैदा की जायेगी। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा।
8. नीलामी में बताये गये फलों के पौधों के अलावा दूसरे अन्य पेड़ों पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. वृक्षों में अनुसंधान कार्य में प्रयुक्त दवा छिड़कने व अन्य कार्यो पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
10. खजूर के बगीचे में इस समय लोहे/नॉन वुअन की जालियां लगी है, जिनकी गिनती मौके पर कराकर, फलों की तुड़ाई से पूर्व इन जालियों की पावती रसीद ले ली जायेगी। खजूर फल तुड़ाई के साथ–साथ यह जालियां उतार कर सही अवस्था में विभाग में जमा करानी होगी, अन्यथा इनकी रकम ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
11. फल तोड़ने का समय प्रातः 09:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक रहेगा। फलों को बाहर ले जाने का अनुमति पत्र (गेट–पास) प्रभारी अधिकारी से लेना होगा, तत्पश्चात् ही सुरक्षा अधिकारी (प्रहरी) गेट से फलों को ले जाने देगा।
12. प्राकृतिक आपदा (जैसे :– वर्षा, आँधी, तूफान आदि) एवं अन्य किसी प्रकार से फलों को नुकसान होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. हर विवादित मामलों में समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। नीलामी बोली छोड़ने या न छोड़ने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के पास सुरक्षित रहेगा।

23.6.2024
(एस.आर. यादव)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.R.A. University
Beechwal-Bikaner-334006

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. श्रीमान् निदेशक (अनुसंधान) कृषि अनुसंधान निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर अनुरोध है कि दिनांक 29.06.2024 को प्रातः 11.00 बजे नीलामी स्थल पर अपना प्रतिनिधि भिजवायें।
3. श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य मूल्य निर्धारण समिति, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर/प्रशासनिक कार्यालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/ग्राम पंचायत, बीछवाल, बीकानेर/जिलाधीश कार्यालय, बीकानेर।
5. श्रीमान् फार्म प्रभारी/मैनेजर, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली/नीलामी सूचना पत्रावली।

23.6.2024
(एस.आर. यादव)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.R.A. University
Beechwal-Bikaner-334006